ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2231-5063

Golden Research Thoughts

मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना

गंगाराम वास्केल[1] , दिनेश सोनी[2]

[1]संविदा व्याख्याता, शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय. इन्दौर (म.प्र.)
[2]आचार्य, सतत् शिक्षा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय.उज्जैन (म.प्र.)

सारांश

भारत को विकसित देशों की श्रेणी मे स्थापित होने में अनेक कारण जैसे– अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि उत्तरदायी है। कोठारी कमीशन (1964–66) का कथन प्रांसगिक है कि – ''भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है''। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कई योजनाएँ प्रारम्भ की गयी, जिनके माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन हो सके। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव द्वारा 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई। इस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर को सौंपा गया है। विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के सहयोग से इस परियोजना पर 1976–77 से कार्य आरंभ कर दिया है। इस शोध कार्य के उददेष्य था मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना। इसकी परिकल्पना मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा। प्रस्तुत षोध एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध है, इस समष्टि में से सोदेष्यपरक (Purposive) न्यादर्ष तकनीक द्वारा न्यादर्ष का चयन किया गया। न्यादर्ष का चयन धार जिले के 7 विकासखण्डों से सात विद्यालयों को यादृच्छित विधि से 100 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का चयन किया गया। प्रदत्तों का विष्लेषण स्वतंत्र टी परीक्षण (Independent 't' test) एवं प्रतिषत मान विधि का उपयोग किया गया। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में मध्यान्ह भोजन योजना को एक समान रूप से प्रभावी पाया गया।

प्रस्तावना :

भारत एक विकासशील देश है। इस देश के विकसित देशों की श्रेणी मे स्थापित होने में अनेक कारण जैसे– अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी आदि उत्तरदायी है। इन श्रेणी में एक अन्य कारण अशिक्षा भी है। निश्चित तौर पर शिक्षा किसी भी समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का केन्द्र बिन्दु होती है। शिक्षा और शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं के सफल क्रियान्वयन के द्वारा ही समाज व राष्ट्र का सही दिशा में विकास सम्भव है। यहां कोठारी कमीशन (1964–66) का कथन प्रांसगिक है कि – ''भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है''। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कई योजनाएँ प्रारम्भ की गयी, जिनके माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का सफल क्रियान्वयन हो सके। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ निम्नानुसार हैं –

1) पढ़ों और पढ़ाओ योजना, 2) बालिकाओं के शिक्षा के प्रयास,3) यूनिसेफ की शिक्षा योजनाएँ, 4) शाला सुविधाएँ, 5) शिक्षा गारण्टी योजना, 6) रूपांतरण योजना, 7) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, 8) शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, 9) शिक्षक समाख्या परियोजना,10) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, 11) विकलांग बालकों की समेकित शिक्षा व्यवस्था, 12) औपचारिकेतर शिक्षा, 13) मनीषा योजना, 14) पाठ्क्रम और पाठ्यपुस्तक नवीनीकरण, एवं 15) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिये विशेष कार्यक्रम। इन योजनाओं की श्रेणी में एक योजना माध्यान्ह भोजन योजना भी है। मध्यान्ह भोजन योजना एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना व शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना है। साथ ही यह विद्यार्थियों के उचित पोषण को भी सुनिश्चित करती है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भरसक प्रयत्न किए गए है। यद्यपि इन प्रयासों के बावजुद क्या यह योजना अपने लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त कर चुकी है और क्या इसकी प्राप्ति में गुणवत्ता व शुद्धता को ध्यान मे रखा जा रहा है? सरल शब्दों में यह योजना अपने लक्ष्यों के सन्दर्भ मे उपयोगी रही या इसी दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं ? इन समस्त प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा में ही शोधकर्ता द्वारा इस प्रकरण का शोध विषय के रूप में चयन किया गया है।

मध्यान्ह भोजन से तात्पर्य

सरकारी विद्यालयों में अधिकतर बच्चे निर्धन व मध्यम वर्ग के होते हैं जिनके माता–पिता की आय बहुत कम होती है और घर मे सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसलिये अधिकांषतः यह होता है कि उन्हें वक्त पर भोजन तो मिलता है परन्तु वह पौष्टिक नहीं होता है। जिस कारण बच्चों की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, व पढ़ाई में मन नहीं लगता है। विद्यालय में बालकों को लगभग 6 घण्टें रहना पड़ता है और सायंकाल को जब उन्हें खाना मिलता है तो इस बीच लगभग 6:30 से 7 घण्टे का अन्तर पड़ता है। बालकों को भोजन हेतु इतना अन्तर उनके स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव डालते हैं जबकि बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं व विद्यालय में पढ़ने खेलने मस्ती करने आदि में अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है। अतः उन्हे विद्यालय समय में भी भोजन (संतुलित) की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ''विद्यालय के समय के बीच में विद्यार्थियों को भोजन दिया जाना ही मध्यान्ह भोजन कहलाता है।''

मध्यान्ह भोजन योजना की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को कच्चा खाद्यान्न वितरित किया जाता था, परन्तु याचिका क्रं. 196/2001 के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पके हुये भोजन के वितरण का आदेश पारित किया गया। माह जनवरी 2004 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दलिया/खिचड़ी के स्थान पर विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2007 माह अक्टूबर से कार्यक्रम का विस्तार शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों की शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं में किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2008 से प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त माध्ययमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजनाओं लागू किया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन

भारत शासन के संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देषानुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. 196/2001 में पारित अंतरिम आदेश के पालन में देश के सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं के छात्रों को शाला लगने के समय गर्म पका हुआ भोजन वितरित किया जाना अनिवार्य किया गया है जिसे सन् 1997–98 में माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है। जापान में सन् 1800, ब्राजील में 1932, अमेरिका में 1946 से बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के उद्देष्य से यह योजना प्रारंभ की गई 1956 में तमिलनाडु में छोटे स्तर पर यह योजना शुरू की गई थी। मध्यप्रदेश में यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव द्वारा 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई।

मध्यप्रदेश में योजना का क्रियान्वयन :–

मध्यप्रदेश शासन ने इस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य विज्ञान संस्थान, जबलपुर को सौंपा है। विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के सहयोग से इस परियोजना पर 1976–77 से कार्य आरंभ कर दिया है।

मध्यान्ह भोजन योजना की प्रमुख समस्याएँ

मध्यान्ह भोजन योजना की प्रमुख समस्याएँ अग्र है–

1.ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक एवं पालकगण का अशिक्षित होना। 2. मध्यान्ह भोजन में शिक्षकों की रुचि का अभाव। 3. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का होना। 4. मध्यान्ह भोजन के कारण शिक्षण प्रक्रिया का एवं परिणामों का प्रभावित होना। 5. मध्यान्ह भोजन में खाना बनाने वाले व्यक्तियों का अस्पृष्य जाति का होना (क्योंकि आज भी गांवों में जात –पात को मानते हैं)। 6. समय समय पर आवंटन प्राप्त न हो पाना। 7. मध्यान्ह भोजन योजना मे आने वाले खाद्यान की गुणवत्ता का अभाव। 8. मध्यान्ह भोजन योजना में बनाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता। 9. मध्यान्ह भोजन में दिये जाने वाला भोजन मेनू के अनुरुप वितरण का अभाव। 10. संपन्न परिवार के बच्चों का मध्यान्ह भोजन ग्रहण नहीं करना। 11. मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत कर्मचारी के प्रति ग्रामिणों का दृष्टिकोण। 12. विद्यालयों में किचन, बर्तन, जलाऊ लकड़ी इत्यादि की समस्या। 13. मध्यान्ह भोजन योजना के फलस्वरुप शिक्षकों पर पडने वाला अतिरिक्त कार्यभार ।

औचित्य

मानव व्यक्तित्व के विकास एवं राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा का अतुलनीय महत्व है। शिक्षा के माध्यम से समाज व राष्ट्र हेतु बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होता है, जो राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देता है। मध्यान्ह भोजन योजना निसंदेह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। पूर्व शोध कार्यों के समीक्षात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्यान्ह भोजन के मूल्यांकन से संबंधित कई शोध कार्य किए गए हैं जिनमें से व्यास (1992), सक्सेना एवं मित्तल (1995), दुधे (1998), सोनी (2000), कानूनगो (2002), बाला (2003), जैन (2005), ठाकुर (2005), चौधरी (2008), वेटुकुरी एवं राजु (2009), लक्ष्मय्या व अन्य (2009) नाम्बियार एवं अन्य (2010), दीपालिका (2010), हिरानी (2010), पाल एवं ठाकुर (2011), नांगिया और पूनम (2011), भोयते और अय्यर (2011), बाबुलाल (2012), एवं पॉल व मण्डल (2012) द्वारा किये गये शोध कार्य शोधक को उपलब्ध हो पाए है। यद्यपि इन शोध कार्यों के द्वारा भी मध्यान्ह भोजन योजना के विविध पक्षों से संबंधित मूल्यांकन किया गया, परन्तु यह शोध कार्य सीमित संख्या में है। मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित अल्प शोधकार्य शोधकर्ता को उपलब्ध हो पाऐ साथ ही अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना का मूल्यांकन सम्बन्धी कोई शोध कार्य शोधक को उपलब्ध नहीं हो पाया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना का शैक्षिक सन्दर्भों के प्रसंग में मूल्यांकन सम्बन्धी कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया गया है।

उद्देष्य

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देष्य था–

मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका का अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं की तुलना के आधार पर मूल्यांकन करना।

परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया–

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

शोध का प्रकार

प्रस्तुत शोध एक सर्वेक्षण प्रकार का शोध है, जिसमें शिक्षा से संबंधी एक महत्वाकांक्षी योजना ''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की उपयोगिता'' के मूल्यांकन हेतु 100 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का सर्वेक्षण किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य की समष्टि धार जिले के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना में सम्मिलित अध्यापिका एवं अध्यापक थे। इस समष्टि में से उद्देष्यपरक (Purposive) न्यादर्श तकनीक द्वारा न्यादर्श का चयन किया गया। न्यादर्श का चयन धार जिले के 7 विकासखण्डों से किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से एक–एक विद्यालय का यादृच्छिक रुप से चयन किया गया।

क्र.	विकाखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	अध्यापक	अध्यापिका
1	मनावर	प्राथमिक विद्यालय मनावर, तह.–मनावर जिला–धार, म.प्र.	8	8
2	धरमपुरी	प्राथमिक विद्यालय ग्राम लोहारी, तह.–धरमपुरी जिलाधार, म.प्र.	5	5
3	उमरबन	प्राथमिक विद्यालय ग्राम–लवाणी, तह.–धार जिला–धार, म. प्र.	6	6
4	गंधवानी	प्राथमिक विद्यालय गंधवानी, तह.–गंधवानी जिला–धार,म.प्र.	8	7
5	ड़ही	प्राथमिक विद्यालय ड़ही, तह.–ड़ही जिला–धार, म. प्र.	5	5
6	निसरपुर	प्राथमिक विद्यालय ग्राम–भेसलाय, तह.–कुक्षी जिला–धार, म.प्र.	9	9
7	कुक्षी	प्राथमिक विद्यालय कुक्षी, तह.–कुक्षी जिला–धार, म. प्र.	9	10
कुल			50	50

उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के प्रदत्त एकत्रित किए गए। प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करने हेतु शोधक द्वारा अध्यापकों हेतु प्रतिक्रिया मापनी विकसित की गयी। प्रतिक्रिया मापनी में कुल 20 कथन थे। इन कथनों में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन सम्मिलित किए गए थे। सकारात्मक कथनों हेतु पाँच बिन्दु मापनी पर क्रमशः 5, 4, 3, 2 व 1 तथा नकारात्मक कथनों हेतु क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 5 अंक भार का उपयोग किया गया। प्रतिक्रिया मापनी में मध्यान्ह भोजन योजना के विभिन्न पक्षों जैसे– नियमितता, मात्रा व गुणवत्ता, नामांकन व विरतता (ड्रापआउट) दर पर प्रभाव, स्वच्छता/साफ–सफाई, निरीक्षण कार्य, शिक्षण कार्य पर प्रशव, अतिक्ति कार्य शर आदि के संबंधित कथन शामिल किए गए थे।

प्रदत्त संकलन

सर्वप्रथम धार जिले के 7 विकासखण्डों में चयनित विद्यालयों से चयनित न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों के प्राचार्यों से अनुमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् न्यादर्ष के रूप में चयनित अध्यापकों से आत्मीय संबंध स्थापित कर शोध का उद्देष्य स्पष्ट किया गया। उन्हें विष्वास दिलाया गया कि प्रस्तुत शोध से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और केवल शोध कार्य हेतु उपयोग में लाया जाएगा। तत्पष्चात् समस्त अध्यापकों से शोधक द्वारा निर्मित प्रतिक्रिया मापनी भरवायी गई। प्रतिक्रिया मापनी भरवाने के पश्चात प्रतिक्रिया मापनी के सकारात्मक एवं नकारात्मक कथनों का अंक भार के आधार पर फलांकन किया गया। इस प्रकार शोध हेतु चयनित न्यादर्श से मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका के प्रति प्रतिक्रियाओं के प्रदत्त एकत्रित कर लिए गये।

प्रदत्त विश्लेषण

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्यों की तुलना हेतु स्वतंत्र टी परीक्षण (Independent 't' test) एवं प्रतिषतमान विधि का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या– प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को तालिका में प्रदर्षित किया गया है–

तालिका अध्यापक के लिंगवार न्यादर्श संख्या, मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका के सन्दर्भ में प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांक, मानक विचलन एवं 'टी' मूल्य को प्रदर्षित करती तालिका

लिंग	न्यादर्श संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता की कोटि (df)	'टी' मूल्य	सार्थकता स्तर
अध्यापक	50	65.86	8.49	98	1.67	0.096
अध्यापिका	50	68.60	7.80			

सा.न.– 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं

तालिका से स्पष्ट है कि लिंग के लिए 'टी' का मान 1.67 है, जिसके लिए स्वतंत्रता की कोटि= 98 पर, द्वि–पुच्छीय सार्थकता का मान .096 है, जो कि 0.05 से बड़ा है, अतः गणना से प्राप्त 'टी' का मान स्वतंत्रता की कोटि = 98 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है, अर्थात् अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं। अतः इस स्थिति में षून्य परिकल्पना ''मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं है'' निरस्त नहीं की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के माध्यों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में मध्यान्ह भोजन योजना को एक

समान रूप से प्रभावी पाया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की प्रतिक्रियाएं तालिका

क्र.	कथन	पू. स.	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पू. असहमत
1	मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के कारण शिक्षणकार्य प्रशवित नहीं होता है।	3	5	2	60	30
2	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।	10	65	0	15	10
3	मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है।	5	15	2	38	20
4	मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित शेजन सरकार द्वारा निर्धारित मैनू के अनुरूप होता है।	10	50	2	8	30
5	मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है।	3	40	0	50	7
6	मध्यान्ह भोजन योजना में स्वच्छता/साफ–सफाई का ध्यान रखा जाता है।	20	65	0	10	5
7	मध्यान्ह भोजन योजना में सशी जाति व धर्म के विद्यार्थी शेजन ग्रहण करते हैं।	15	40	10	20	15
8	मध्यान्ह भोजन योजना में अध्यापक शेजन करते हैं।	10	70	10	7	3
9	मध्यान्ह भोजन योजना के द्वारा विद्यार्थियों के पोषण–स्तर या कुपोषण में सुधार हुआ है।	15	35	5	30	15
10	मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर (भोजनावकाष के पष्चात्) विद्यार्थी अपने–अपने घर चले जाते हैं।	20	65	0	10	5
11	विद्यालय में अधिकांष विद्यार्थी केवल मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने ही विद्यालय आते हैं।	15	40	0	30	15
12	मध्यान्ह भोजन योजना का समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य किया जाता है।	30	60	0	8	2
13	मध्यान्ह भोजन योजना के लिए बर्तन मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध रहते है।	10	70	2	15	3
14	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों पर अतिक्ति कार्य शर बढ़ो है।	20	70	0	5	5
15	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों में कार्य को लेकर मतश्ेद उत्पन्न होता है।	20	60	0	15	5
16	मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन का सरकार का उद्देष्यपूर्ण हो रहा है।	15	55	10	15	5
17	मध्यान्ह भोजन योजना से विद्यार्थियों की विरतता (ड्रापआउट) दर में कमी हुई है।	15	80	0	3	2
18	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन एवं शिक्षण कार्य को गति मिली है।	10	70	3	10	7
19	मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि हुई हैं।	15	70	0	10	5
20	मध्यान्ह भोजन योजना शैक्षिक व सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वाकांक्षी योजना है।	10	80	0	7	3

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 01 '' मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के कारण शिक्षणकार्य प्रशवित नहीं होता है'' पर 3 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 5 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 2 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिश्चित विकल्प पर, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 30 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 01 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के कारण शिक्षणकार्य प्रशवित होता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 02 ''मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 65 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 10 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 02 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 03 ''मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है'' पर 05 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 02 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिश्चित विकल्प पर, 38 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 20 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 03 पर

अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन गुणवत्तापूर्ण होता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 04 ''मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित शेजन सरकार द्वारा निर्धारित मैनु के अनुरूप होता है'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 50 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 02 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिश्चित विकल्प पर, 08 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 30 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 04 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित शेजन सरकार द्वारा निर्धारित मैनू के अनुरूप होता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 05 ''मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है।'' पर 03 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 40 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 50 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 07 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 05 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में वितरित होने वाला शेजन विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 06 ''मध्यान्ह भोजन योजना में स्वच्छता/साफ–सफाई का ध्यान रखा जाता है'' पर 20 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 65 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 06 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में स्वच्छता/साफ–सफाई का ध्यान रखा जाता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 07 ''मध्यान्ह भोजन योजना में सशी जाति व धर्म के विद्यार्थी शेजन ग्रहण करते हैं'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 40 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिश्चित विकल्प पर, 20 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 15 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 07 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में सशी जाति व धर्म के विद्यार्थी शेजन ग्रहण करते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 08 ''मध्यान्ह भोजन योजना में अध्यापक शेजन करते हैं'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिश्चित विकल्प पर, 07 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 03 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 08 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना में अध्यापक शेजन करते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 09 ''मध्यान्ह भोजन योजना के द्वारा विद्यार्थियों के पोषण–स्तर या कुपोषण में सुधार हुआ है'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 35 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 05 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिशिचित विकल्प पर, 30 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 15 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 09 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के द्वारा विद्यार्थियों के पोषण–स्तर या कुपोषण में सुधार हुआ है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 10 ''मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर (भोजनावकाश के पश्चात्) विद्यार्थी अपने–अपने घर चले जाते हैं'' पर 20 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 65 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 10 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर (भोजनावकाश के पश्चात्) विद्यार्थी अपने–अपने घर चले जाते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 11 ''विद्यालय में अधिकांश विद्यार्थी केवल मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने ही विद्यालय आते हैं'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 40 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 30 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 15 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 11 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, विद्यालय में अधिकांश विद्यार्थी केवल मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने ही विद्यालय आते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 12 ''मध्यान्ह भोजन योजना का समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य किया जाता है'' पर 30 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 08 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 02 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 12 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना का समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य किया जाता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 13 ''मध्यान्ह भोजन योजना के लिए बर्तन मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध रहते हैं'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 02 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिशिचित विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 03 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 13 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए बर्तन

मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध रहते हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 14 ''मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों पर अतिक्ति कार्य शर बढ़ा है'' पर 20 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 01 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों पर अतिक्ति कार्य शर बढ़ा है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 15 ''मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों में कार्य को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है'' पर 20 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 60 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 15 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापकों में कार्य को लेकर मतश्ेद उत्पन्न होता है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 16 ''मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन का सरकार का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 55 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिशिचित विकल्प पर, 15 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 16 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन का सरकार का उद्देश्यपूर्ण हो रहा है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 17 ''मध्यान्ह भोजन योजना से विद्यार्थियों की विरतता (ड्रापआउट) दर में कमी हुई है'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 80 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 03 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 02 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 17 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना से विद्यार्थियों की विरतता (ड्रापआउट) दर में कमी हुई है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 18 ''मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन एवं शिक्षण कार्य को गति मिली है'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 03 प्रतिशत अध्यापकों ने अनिशिचित विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 07 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 18 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन एवं शिक्षण कार्य को गति मिली है।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 19 ''मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि हुई हैं'' पर 15 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 70 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 10 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 05 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 19 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि हुई हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं हेतु कथन क्र. 20 ''मध्यान्ह भोजन योजना शैक्षिक व सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वाकांक्षी योजना है'' पर 10 प्रतिशत अध्यापकों ने पूर्णतः सहमत विकल्प पर, 80 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमत विकल्प पर, 07 प्रतिशत अध्यापकों ने असहमत विकल्प पर, एवं 03 प्रतिशत अध्यापकों पूर्णतः असहमत विकल्प पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कथन क्र. 20 पर अध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ सकारात्मक है एवं अधिकांश अध्यापकों के अनुसार, मध्यान्ह भोजन योजना शैक्षिक व सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वाकांक्षी योजना है।

अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त समेकित निष्कर्ष–

कथनवार प्रतिशत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका के सन्दर्भ में अध्यापकों की समेकित प्रतिक्रियाएँ उच्च सकारात्मक रही व मध्यान्ह भोजन योजना की भूमिका को अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में प्रभावी पाया गया।

सन्दर्भ

1.जैन, पी. : मध्यान्ह भोजन योजना की पूर्ववर्ती कार्यप्रणाली एवं वर्तमान कार्यप्रणाली का शैक्षिक प्रक्रिया पर पढ़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 2004–05.
2.चौधरी, के. के. : मिड–डे मील योजना के प्रति बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, अक्टूबर 2009, पृ. 47–59.
3.Anima R. and Sharma, N. K.: An Empirical Study of the Mid-Day Meal Programme in Khurda. Orissa, June 21, 2008.
4.NCERT: Sixth Survey of Research in Education-Vol I (1993-2000). New Delhi: NCERT, 2006.
5.NCERT: Sixth Survey of Research in Education-Vol II (1993-2000). New Delhi: NCERT, 2007.
6.Sansanwal, D.N. (Ed) : Sixth Survey of Research in Education (1993-2005). hppt//:www.dauniv.ac.in/12 March, 2011.